संख्या- 1/2023/415/सामान्य/सैंतालीस-का-4 -2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग -4 लखनऊः दिनांकः 23 मार्च, 2023

विषयः ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से समूह 'ख' एवं 'ग' के रिक्त पदों के अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित किये जाने हेतु सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन प्रेषित किये जाने हेतु ई-अधियाचन पोर्टल विकसित किया गया है, जो कि Web URL (https://eadhiyachan.pariksha.nic.in) पर उपलब्ध है। इस संबंध में एन0आई0सी0 द्वारा संबंधित विभागों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अतः समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के सीधी भर्ती के समस्त पदों के अधियाचन, ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपरोक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः-

(i) विभाग द्वारा आगामी चयन वर्षों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों का निर्धारण करते हुए पत्रावली पर अधियाचन प्रेषित किये जाने हेतु सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(ii) अधियाचन की जाने वाली रिक्तियों का निर्धारण एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ई-अधियाचन पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रियानुसार ऑनलाइन अधियाचन आयोगों को प्रेषित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in/

(iii) प्रेषित किये गये अधियाचन पर आयोग द्वारा यदि कोई पृच्छा की जाती है, तो उसका समयान्तर्गत ऑनलाइन निस्तारण किया जाये।

(iv) विभागाध्यक्ष/सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव अपने विभाग से प्रेषित किये गये अधियाचनों के क्रम में प्रचलित भर्ती/चयन की कार्यवाही की प्रगति से ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से निरन्तर अद्यतन रहते हुए समयान्तर्गत चयन कार्यवाही पूर्ण हो, इस हेतु आयोगों को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाये।

3. उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-15/20/95-का-4-2013, दिनांक 09.07.2013 द्वारा आगामी 03 वर्षों में घटित होने वाली रिक्तियों की गणना सुनिश्चित करते हुये अधियाचन आयोग को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः आगामी चयन वर्षों की रिक्तियों की गणना करके आयोग को अधियाचन प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-अधियाचन पोर्टल क्रियाशील हो गया है। अत: तत्काल प्रभाव से ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से ही आनलाइन अधियाचन ही आयोग द्वारा स्वीकार किये जायेंगे। पूर्व में भेजे गये अधियाचन पुरानी (आफलाइन) व्यवस्था से ही क्रियान्वित होंगे।

5. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या- 1/2023/415(1)/सामान्य/सैंतालिस-का-4-2023तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
3- सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
4- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।